



राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(ए)169/पार्ट-7/संस्था/बीमा/00197/

दिनांक : 26-02-2024

आदेश 468

जिला कलक्टर, झुन्झुनू के पत्रांक: एफ.1(0)अ.नि./स्था/2019/280 दिनांक 31.03.2023 के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.09.2022 के द्वारा राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत विभाग में शहीद आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(2)डीओपी/क-2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तों पर 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में निम्नांकित शहीद आश्रित को कनिष्ठ सहायक के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	शहीद का नाम	मृत्यु दिनांक	आश्रित का नाम, शहीद से संबंध	पिता का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
1	शहीद ग्रेनेडियर्स उम्मेद खान	14.12.1971	श्री जूनैद खान, नाती (नवासा)	श्री महमूद हसन	11.08.1998	OBC	झुन्झुनू

उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

- अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची-4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसरण में रुपये 14600/- (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
- इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निर्धारित रनिंग पे बेण्ड 5200-20200 (पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

Signature valid



RajKaj Ref
5766139
Digitally signed by Mahendra
Khadgawat
Designation: Director
Date: 2024.02.26 13:30:39 IST
Reason: Approved



- 4 राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा, जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण हेतु प्रारंभिक नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, स्थायीकरण के लिए नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर आश्रितों से ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जिसमें असफल रहने पर, उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगी। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञेय नहीं होंगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता/लेती है। ऐसी अर्हताएं अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप में वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञेय होंगी किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।
- 5 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- 6 उक्त नियुक्तियां राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी।
- 7 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होंगे, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा परिलाभ देय होंगे।
- 8 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
 1. पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, 6. दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र, कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष (अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित प्रतियां) प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5766139

Digitally signed by Mahendra
Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.02.26 13:30:39 IST
Reason: Approved



क्रमांक:एफ1(ए)169/पार्ट-7/संस्था/बीमा/00197/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

8829-49

दिनांक : 26-02-2024

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, झुन्झुनू को उनके पत्रांक:एफ.100अ.नि./स्था/2019/280 दिनांक 31.03.2023 के क्रम में।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ अति.निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग-द्वितीय, जयपुर।
10. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झुन्झुनू उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 08 की पालना सुनिश्चित करे।
11. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चिडावा, झुन्झुनू।
12. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
13. केडर स्ट्रेंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
14. संबंधित श्री जूनिद खान पता- जाबासर, मलसीसर, झुन्झुनू को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 08 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।
15. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,

राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5766139

Digitally signed by Mahendra
Khadgawat
Designation : Director
Date: 2024.02.26 13:30:39 IST
Reason: Approved